राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
185	23.05.2024	23.10.2024

उनवानः

1. रोशनी देवी उम्र 65 वर्ष पत्नी श्री शेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम ढीकवाड तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

......वादनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

.....प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व नक्शा दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थिति :– श्री प्रमोद कुमार यादव योग्य अधिवक्ता वादनी की ओर से

।। निर्णय।।

वाद पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मिन वादनी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर हाल 767 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम ढीकवाड़ तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड मे स्थित है। जिसके संवत 2042 से पुर्व के खसरा नम्बर 483 रकबा 5 बिघा 08 बिस्वा थे तथा संवत 2020 से पुर्व के खसरा नम्बर 239 रकबा 5 बिघा 08 बिस्वा थे। उक्त खसरा नम्बर का राजस्व नक्शा संवत 1978 एवं 2020 सही है। लेकिन सवंत 2038 का राजस्व नक्शा राजस्व कर्मचारियो द्वारा खिलाफ मौका, खिलाफ कानून, खिलाफ साबिक नक्शा के अंकित कर दिया गया। जबकि मौके पर मिन वादनी के खसरा नम्बर 767 की आकृति साबिक नक्शा के मुताबिक सही है जिसके मुताबिक ही मिन वादनी को मौके पर विक्रेतागण ने कब्जा दिया गया था और उसके मुताबिक ही मिन वादनी मौके पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही हूँ। मिन वादनी को आराजी मुतनाजा के हाल राजस्व गलत नक्शा की जानकारी नही थी लेकिन मिन वादनी द्वारा अपने खसरा नम्बर 767 की पैमाईश करवाने के लिए पटवारी हल्का से दिनांक 17.04.2024 को मिली तब पटवारी हल्का के पास नक्शा देखा तब जानकारी हुई कि मिन वादनी के खसरा नम्बर 767 की उत्तरी डोल के सिरे पुर्व को तिरछा करते हुऐ मिन वादनी के खसरा नम्बर 767 की तरफ अंकित करते हुऐ सिरे पश्चिम को मिला दिया गया। जो साबिक नक्शा के विपरीत दर्ज किया गया है। इसलिए हाल राजस्व नक्शा के मुताबिक पैमाईश करवाने से डोल मिन वादनी के खेत की तरफ कायम होगी। जबकि मौका पर साबिक नक्शा के मुताबिक खेत की आकृति है और उसी अनुसार मिन वादनी मौके पर काबिज हूँ। लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा संवत 2038 मे राजस्व नक्शा गलत दर्ज कर दिया गया। जवकि राजस्व कर्मचारियो को इस प्रकार से राजस्व नक्शा को गलत दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार नही था। राजस्व कर्मचारियो द्वारा की गई गलती काबिल दुरूस्त होने योग्य है जिसे दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर हाल 767 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम ढीकवाड़ तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड के हाल राजस्व नक्शा मे उत्तरी डोल को दुरूस्त किया जाकर उसे संवत 1978 व 2020 के राजस्व नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

के मुताबिक अंकित किया जाने की घोषणा फरमाई जाने की प्रार्थना की गई।

वाद वादनी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी बाद तामिल जरिये पैरोकार सरकार न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाब पेश किया गया । जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर, पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादनी नियत की गई।

वकील वादनी साक्ष्य प्रस्तुत करना नही चाहते है। इसलिए वादनी की साक्ष्य बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

वकील वादनी की बहस सुनी गई। वकील वादनी ने अपने दावा के तथ्यो को रिपीट करते हुऐ, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार द्वारा पेश जबाब दावा से वादनी का वाद पत्र पूर्ण रूप से साबित होने के कारण डिक्री फरमाया जाने के तर्क दिये गये।

हमने वकील वादनी की बहस पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया दावा के खसरा नम्बर हाल 767 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम ढीकवाड के संवत 2042 से पुर्व के खसरा नम्बर 483मिन थे तथा संवत 2020 से पुर्व के खसरा नम्बर 239 थे तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व नक्शा संवत 2020 व 1978 का अवलोकन किया गया जो दोनो ही नक्शा समान है लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध हाल राजस्व नक्शा संवत 2038 के अवलोकन एवं संवत 2020 व 1978 के नक्शा से मिलान किया जाता है तो हाल नक्शा की आकृति संवत 2020 व 1978 के राजस्व नक्शा से भिन्न दर्शित होती है।जिसकी पुष्ठि पैरोकार सरकार द्वारा पेश जबाब दावा से होती है। पैरोकार सरकार ने अपने जबाब दावा मे कथन किया है कि संवत 2038 के दौरान सैटलमेन्ट विभाग द्वारा तरमीम मे अंतर दर्ज किया गया है। नक्शे की तरमीम शुद्ध करने पर राजहित पर कोई प्रभाव नही पडेगा। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के पूर्ण अवलोकन से यह साबित होता है दवा मे वर्णित खसरा नम्बर 767 का हाल राजस्व नक्शा दौराने बन्दोबस्त संवत 2042 तरमीम करते समय गलती हुई। जो एक क्लेरिकल गलती है जिसे दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के आधार पर वादनी का वाद साबित होने के कारण न्यायालय की विनम्र राय के मुताबिक वादनी का वाद डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादनी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादनी की खातेदारी के खसरा नम्बर हाल 767 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम ढीकवाड तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड के हाल राजस्व नक्शा संवत 2038 की तरमीम को संवत 2020 के राजस्व नक्शा की तरमीम (आकृति) के मुताबिक दुरूस्त किया जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार उक्त खसरा नम्बर 767 के हाल राजस्व नक्शा संवत 2038 को संवत 2020 के राजस्व नक्शा के मुताबिक दुरूस्त किया जाने का आदेश फरमाया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सूमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

|| पर्चा डिक्री ||

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
185	23.05.2024	23.10.2024

उनवानः

1. रोशनी देवी उम्र 65 वर्ष पत्नी श्री शेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम ढीकवाड तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

......वादनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

.....प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व नक्शा दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थिति :– श्री प्रमोद कुमार यादव योग्य अधिवक्ता वादनी की ओर से

|| आदेश ||

अतः वाद वादनी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादनी की खातेदारी के खसरा नम्बर हाल 767 रकवा 0.63 है0 वाके ग्राम ढीकवाड तह0 मांढण जिला कोटपूतली–वहरोड के हाल राजस्व नक्शा संवत 2038 की तरमीम को संवत 2020 के राजस्व नक्शा की तरमीम (आकृति) के मुताविक दुरूस्त किया जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार उक्त खसरा नम्बर 767 के हाल राजस्व नक्शा संवत 2038 को संवत 2020 के राजस्व नक्शा के मुताविक दुरूस्त किया जाने का आदेश फरमाया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई ।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–वहरोड) राज0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)